

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)


क्रमांक/कार्मिक/2024/304


रीवा, दिनांक 19/04/2024

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण क्रमांक-75 दिनांक 11 मार्च-2024 में प्रकाशित अनुसार, अवर सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 452/1250/38-3 भोपाल दिनांक 05.04.2024 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (संशोधन) 2024 के विन्दु-02 अनुसार शब्द "कुलपति" के स्थान पर अंग्रेजी में Vice Chancellor तथा हिन्दी में "कुलगुरु" प्रतिस्थापित किया गया है। भविष्य में शासन से हिन्दी पत्राचार में कुलपति के स्थान पर "कुलगुरु" पदनाम प्रभावशील किये जाने हेतु एतदर्थ अधिसूचित किया जाता है।

आदेशानुसार


कुलसचिव


16.4.24

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन सचिवालय, भोपाल।
2. आयुक्त, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अवर सचिव, म0प्र0 उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, विश्वविद्यालय ए0आई0यू0 हाउस-16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. विभागाध्यक्ष समस्त शैक्षणिक/प्रशासनिक विभाग, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा
7. डॉ0 पी0के0 राय, विभागाध्यक्ष, बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा।
8. वित्त नियंत्रक, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
9. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा, अ0प्र0 सिंह विश्वविद्यालय रीवा।
10. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
11. व्यक्तिगत पत्रावली।


सहायक कुलसचिव (कार्मिक)